न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 62/2017 (राजसमन्द डिक्री)

श्रीमती सीमा पिता दल्लीचन्द पति शेषमल रेगर निवासी धनेरियागढ़ तहसील रेलमगरा हाल रेगर मोहल्ला गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती सोहनी पिता गणेश पत्नी चुन्नीलाल जी रेगर निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0)
2. श्रीमती दाखी पिता गणेश पत्नी प्रताप जी रेगर निवासी धायला तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
3. श्री श्रवण पिता चुन्ना रेगर निवासी धनेरियागढ़ तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0)
4. श्रीमती प्यारी बेवा रामा जी रेगर निवासी धनेरियागढ़ तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0)
5. श्री रामचन्द पिता नगजीराम जी रेगर निवासी धनेरियागढ़ तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0)
6. श्रीमती किशोरी बेवा नगजीराम जी रेगर निवासी धनेरियागढ़ तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0)
7. श्री हरलाल पिता हीरा जी रेगर निवासी धनेरियागढ़ तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0)
8. श्री उदयलाल पिता हीरा जी रेगर निवासी धनेरियागढ़ तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0)
9. श्रीमती गीता पत्नी मांगीलाल जी रेगर निवासी धनेरियागढ़ तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0)
10. श्री भंवरलाल पिता नोला जी रेगर निवासी धनेरियागढ़ तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0)
11. श्री नारायण लाल पिता नोला जी रेगर निवासी धनेरियागढ़ तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0)

12. राजस्थान राज्य एवं भूमिधारक श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड
अधिकारी रेलमगरा दिनांक 12–06–2015 प्रकरण
संख्या 116/2014 वाद

————/————

उपस्थित :–1–श्री अक्षय पालीवाल ब्रीफ होल्डर श्री भारत सनाढ्य अभि.अपी.
2– राजकीय अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट संख्या–12

————/————

निर्णय **दिनांक 22–01–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1, 2 वादीगण व अन्य रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का वाद पेश कर निवेदन किया कि वादपत्र की कलम संख्या–1 वर्णित कूल आराजीयात किता–4 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा भूमि तथा वादपत्र की कलम संख्या–2 वर्णित कूल किता–5 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा भूमि वादीगण के 1/3 हिस्से एवं अन्य पक्षकारान के संयुक्त खातेदारी में स्थित है। अतएव उक्त भूमियों का विधिवत विभाजन करवा कर स्थाई निषेधाज्ञा दिलवाई जाय।

उक्त वादपत्र पेश होने के बाद प्रकरण में दिनांक 23–2–2015 को प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 5, 7 से 10 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई तथा अपीलान्ट (प्रतिवादी संख्या–2 व 6) के रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस पेश किये जाने का आदेश दिया गया। दिनांक 12–6–2015 को प्रकरण को लोक अदालत में रखा गया, जबकि इससे पूर्व दिनांक 23–2–2015 की पेशी के बाद आगामी पेशी दिनांक 20–4–2015, 8–6–2015 की नियत पेशी पर आगामी तिथि 17–8–2015 तकय की गई थी तथा 17–8–2015 के स्थान पर पत्रावली को दिनांक 12–6–2015 को अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को लोक अदालत में रखकर सिर्फ वादिया सोहनी की उपस्थिति में निम्नानसार निर्णय आदेशिका पर पारित कर दिया :–

दिनांक	कार्यवाही प्रकरण	हस्ताक्षर / सूचना नं.
12–6–2015	पत्रावली लोक अदालत / कोर्ट कैम्प पर पेश हुई। प्र.सं. 2 व 6 का रजि.ए.डी. से सम्मन भेजे गये। कोई उपस्थित नहीं आये। वादी की और से वादी गवाह पी.डब्ल्यू–1 सोहनी का शपथ पत्र पेश किया। वकल वादी कि एक तरफा बहस सुनी गयी। तहसीलदार रेलमगरा से विभाजन प्रस्ताव दो दो प्रतियों में तैयार कराया गया। जिस वादी ने सहमति व्यक्त कि गयी। वादी का वाद अन्तर्गत धारा–53 आर.टी.ए. का स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल फा. किया या। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। ह0 / – सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा	

इसका विस्तृत निर्णय भी शामिल पत्रावली है :–

अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 12–6–2015 से रूष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या–2 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 14–9–2015 को पेश की गई।

अपील के साथ दफा–5 जाब्ता मयाद का आवेदन पेश कर निवेदन किया कि उसे न्यायालय की 17–8–2015 की पेशी की सूचना के कारण वह अधिनस्थ न्यायालय में 12–6–2015 की अनिर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं हुई तथा अधिनस्थ न्यायालय ने 12–6–2015 की तिथि की उसे कोई सूचना नहीं दी। अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी पुनः न्यायालय से प्रतिलिपि प्राप्त करने पर हुई एवं जानकारी व अन्दर मयाद उक्त अपील पेश की जा रही है। ताईद में अखण्डित शपथ पत्र पेश शुदा है। अखण्डित शपथ पत्र, न्यायहित व वर्णित परिस्थितियों में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 से 11 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–12 सरकार की और से औपचारिक पक्षकार राजकीय अधिवक्ता ने गुणावगुण आधार पर निर्णय पारित किये जाने का अनुरोध किया। दौराने बहस वकील अपीलान्ट के ब्रीफ होल्डर अधिवक्ता श्री अक्षय पालीवाल उपस्थित हुये। जिनकी बहस सुनी गई। दौराने बहस उनके प्रमुख उजर अपील मेमों में उठाये गये अनुसार ही रहे तथा उन्होंने कथन किया

कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय बिना विधिवत सूचना तथा विधिक प्रकिया का पालन किये पारित निर्णय है, अतएव अपास्त किया जाय। दिनांक 17–1–2018 को अभिभाषक श्री भारत सनाढ्य द्वारा लिखित बहस भी पेश की गई, जो शामिल पत्रावली की गई।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नियम तिथि से पृथक तिथि को अपीलान्ट को सूचित किये बिना तथा उभयपक्षों की उपस्थिति की सूचना दिये बिना विभाजन प्रस्ताव बिना प्रारम्भिक डिक्री जारी किये अंतिम डिक्री कर दिया है।

अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया ही प्राकृतिक न्याय तथा विधिक प्रकिया के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 12–06–2015 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ **प्रतिप्रेषित** किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 26–3–2018 को उपस्थित होवें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22–01–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.** .....मुकाम ..... **उदयपुर** व इजलास ..... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** .....

पृथ्वीसिंह पिता श्री तखता जी दसाणा राजपूत निवासी सुंखार तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)

बनाम

1– बाबूसिंह पिता लच्छा जी दसाणा राजपूत निवासी सुंखार तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द (राज0) अन्य–26 व सरकार

अपील नं0 **22/2012** बनाराजगी डिगरी अदालत..... **उपखण्ड अधिकारी** ..... **कुम्भलगढ़**..... मुकाम मुक्र्खे.....**12**.....माह.....**01**..... **2012**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख .....**12**..... माह .....**12**..... सन् **2017.....** रूबरू..... पक्षकारान व हाजरी ....**श्री अतुल पालीवाल**..... मिनजानिब अपीलान्ट व .....**राजकीय अधिवक्ता**..... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 12–1–2012 यथावत रखा जाती है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X .....अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख .....**12**..... माह ...**12**..... **2017** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0

1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा ..... 3. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।